

No 0265



"विधिक माप विज्ञान विनियम, 2009"
एवं " बिहार विधिक माप विज्ञान
(प्रवर्तन) नियमावली, 2014"
-121

चाठ सं० 585 दिनांक 8-2-16
Rs. 100 = 00 शुल्क
Rs 200 = 00 जमानत की रकम
अथ 300 = 00

अनुसूची 03

[नियम 12(3) देखिए]

अनुज्ञप्ति प्ररूप

प्ररूप ठ द-3

मे० गिरीशचन्द्र ठोष एच जी० जी० एच०
एच० एच० सुप्रिण्टे ठोष
स्थान-39 ए० वी० टी० गे० कोलकाता
700002, (ए० बंगाल)

विधिक माप-विज्ञान नियंत्रक का कार्यालय

बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों की मरम्मत के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति सं० R-444/16

मे० गिरीशचन्द्र ठोष
एच जी० जी० एच०
वर्ष 2016

1. विधिक माप-विज्ञान नियंत्रक निम्नलिखित की मरम्मत के लिए (पक्षकार या पक्षकारों के नाम और पते) को अनुज्ञप्ति देता है—

कैफे शोप पत्ता - 40 मै सिनेट इन्टरनैशनेल
पो० विद्युनगर पकड़ी भाया अगिहावाट
पत्ता - 800002 बिहार

(यहां उन बाटों, मापों, तौल के उपकरणों या माप के उपकरणों की किसम के ब्योरे दीजिए जिनकी पक्षकार द्वारा मरम्मत की जाने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाती है)

स्वयंसेवा के माध्यम से

2. यह अनुज्ञप्ति ऊपर नामित पक्षकार के लिए उसकी विद्युनगर पकड़ी में स्थित कर्मशाला की शर्त विधिमान्य है।

3. यह अनुज्ञप्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2016 तक विधिमान्य है।

4. मरम्मतकर्ता नीचे दी गई शर्तों का अनुपालन करेगा। यदि वह उनमें से किसी एक का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसकी अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के दायित्व के अधीन होगी।

5. पक्षकार को नीचे उल्लिखित क्षेत्र में बाटों, मापों, तौल और माप के उपकरणों की मरम्मत करने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाती है।

(मुद्रा)

2/2/2016
हस्ताक्षर,

विधिक माप-विज्ञान नियंत्रक
विधिक माप विज्ञान
बिहार, पटना
8-2-16

तारीख 09-02-16
स्थान 42/11

टिप्पणी—फर्म की दशा में, उसका नाम और कारबार में हित रखने वाले सब व्यक्तियों के नाम पैरा 1 में दिए जाने चाहिए।

अनुज्ञप्ति की शर्तें

1. वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में यह अनुज्ञप्ति जारी की जाती है—

- (क) अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त नियमों के सभी सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करेगा ;
- (ख) अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबंधों के अतिलंघन को प्रोत्साहित या उत्प्रेरित नहीं करेगा और ऐसे किसी अतिलंघन की, जो उसकी जानकारी में आए, तत्काल निरीक्षक को रिपोर्ट करेगा ;
- (ग) अनुज्ञप्ति को उस परिसर के जिससे इसका संबंध है, किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा ;
- (घ) किन्हीं ऐसे साधारण या विशेष निदेशों का अनुपालन करेगा जो विधिक माप-विज्ञान नियंत्रक द्वारा दिये जायें ;
- (ङ) जब कभी नियंत्रक या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अन्य अधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए तो अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा ;
- (च) सम्यक्तः मरम्मत किये गये यथास्थिति, बाटों, मापों या तौल अथवा माप उपकरणों को परिदत्त करने से पूर्व सत्यापन और स्टाम्पन के लिये निरीक्षक को पेश करेगा ;
- (छ) कच्चे माल के संबंध में ऐसे लेख और विवरण देगा जिन्हें नियंत्रक समय-समय पर निर्दिष्ट करें तथा उनकी अपेक्षा करें, और
- (ज) नियमों की अपेक्षानुसार इस अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की तारीख की समाप्ति के तीस दिन पहले प्रस्तुत करेगा ।

2. इस अनुज्ञप्ति के जारी किये जाने के पश्चात् विहित प्रत्येक शर्तें, यदि राजपत्र में अधिसूचित की जाती हैं तो उन व्यक्तियों पर आबद्धकर होगी जिन्हें अनुज्ञप्ति दी गई है ।

नवीकरण प्रविष्टियां

<p>चालू सं० ५७९ तारीख २१-१२-१६</p> <p>वर्ष २०१७ के लिये नवीकृत की गई ।</p> <p>मुद्रा २००=</p> <p>विधिक माप-विज्ञान नियंत्रक के हस्ताक्षर ।</p> <p>बिहार, पटना</p>	<p>चालू सं० तारीख</p> <p>वर्ष के लिये नवीकृत की गई ।</p> <p>मुद्रा</p> <p>विधिक माप-विज्ञान नियंत्रक के हस्ताक्षर ।</p>
<p>चालू सं० तारीख</p> <p>वर्ष के लिये नवीकृत की गई ।</p> <p>मुद्रा</p> <p>विधिक माप-विज्ञान नियंत्रक के हस्ताक्षर ।</p>	<p>चालू सं० तारीख</p> <p>वर्ष के लिये नवीकृत की गई ।</p> <p>मुद्रा</p> <p>विधिक माप-विज्ञान नियंत्रक के हस्ताक्षर ।</p>

बिहार सरकार,
कृषि (माप-तौल) विभाग।

कार्यालय संयुक्त कृषि निदेशक-सह-नियंत्रक, माप तौल बिहार, पटना।

पत्र संख्या- 79

पटना, दिनांक- 4.2.17

प्रेषक,

नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान,
बिहार, पटना।

सेवा मे,

में0 गिरिशचन्द्र घोष एण्ड जी0 जी0 एस0,
पार्टनर- 1. ज्योतसना धोष 2. सुप्रियो धोष,
स्थान-39-ए, बी0 टी0 रोड, कोलकटा 700002, (प0 बंगाल),
C/0 में0 बिनोद इन्टरप्राजेज, पो0 बिशुनपुर पकड़ी, भाया अनिसाबसद पटना-2 (बिहार)।

विषय :- आपका मरम्मतिकर्ता अनुज्ञप्ति संख्या आर- 444/16 को वर्ष 2017 तक के लिए नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयगत आपके आवेदन पत्र दिनांक 22.12.2016 के प्रसंग में सूचित करना है कि आपके मरम्मतिकर्ता अनुज्ञप्ति संख्या आर- 444/16 को वर्ष 2017 के लिए नवीकरण कर इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनु0-अनुज्ञप्ति की मूल प्रति ।

विश्वासभाजन,

नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान
बिहार, पटना।